## हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस.जे.ई.-बी.-बी.(1)-3/2016 तारीख शिमला-2,

अगस्त, 2017

# अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1 पद का नामः व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर)

2. पद की संख्याः 01 (एक)

3. वर्गीकरणः वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमानः (i) <u>नियमित पदधारी के लिए पे वेतनमानः</u>
 पे बैण्ड 5910—20200 जमा 3000 / रूपए गेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8910 / —रूपए प्रतिमास ।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः

18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारियों थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- त्रीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति
   (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित शैक्षिक न्यूनतम अन्य अर्हताएं:
- (क) अनिवार्य अर्हता (एं):

(i)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या और हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्नातक की उपाधि सहित कम्पयूटर एप्लीकेशन / कम्पयूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्पयूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्पयूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि।

या

हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स।

या

डोएक (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) / नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलैक्क्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी (एन.आई.ई.एल. आई.टी.) से "ए" स्तर का कोर्स।

- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य/ केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विशेष शिक्षा (वी.आई.) में डिप्लोमा।
- (iii) कम्पयूटर पर अंग्रेजी में तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट टंकण की गति होनी चाहिए।

# (ख) वॉछनीय अर्हता)ः

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति
(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और
शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति
(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी
या नहीं:

आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:

- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
  - (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

- 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी
  या\_प्रोन्नति/ सैंकेण्डमैण्ट/
  स्थानान्तरण द्वारा और
  विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने
  वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः
- 11. प्रोन्नित, सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण द्वारा भर्तीकी दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण किया जाएगाः
- यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः
- सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

## (I) <u>संकल्पनाः</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वग, अल्भ्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
- (ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

# (II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर) को 8910 / — रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267 / — रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

# (III) <u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः</u>

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

# (IV) <u>चयन प्रक्रियाः</u>

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-। में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि,ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-। में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के लिखित परीक्षा के गुणागुण के पश्चात् किया जाएगा. स्तर / पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

# (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा

समय-समय पर गठित की जाए।

### (VI) <u>करारः</u>

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

# (VII) निबन्धन और शर्ते :

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910 / रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267 / रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक आकस्मिक अवकाश, दस दिन चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी

चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के (ਬ) बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि मामलों में आपवादिक जहां चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य अनुपस्थिति अनधिकृत के संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

> परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी (ङ) जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेत् पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि (छ) अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लाग् है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा (ज) लागू सेवा नियमों जैसे छुट्टी नियम, आर0—एस० आर0, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः लागू नहीं।

18.शिथिल करने की शक्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन

है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/ किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या

पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

# परिशिष्ट—।

1.	लिखित परीक्षा	85 अंक
	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से	
	परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50	
	प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:–	15 अंक
	i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक	
	अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक	
	{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा	
	की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक	
	अर्हता में 50 प्रतशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक	
	( 50 x 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे}।	
	ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से	
	सम्बन्धित। = 01 अंक	
	iii) भूमिहीन कटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले	
	कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित	
	किया जाएगा। = 01 अंक	
	iv) इस प्रभाव का गैर— नियोजन प्रमाण–पत्र कि	
	कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी	
	सेवा में नहीं है। = 01 अंक	
	v) ४० प्रतिशत विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से	
	अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक	
	vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में	
	प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काउट और	
	गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक	
	विजेता। = 01 अंक	
	vii) सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित 40,000	
	से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला	
	बी0पी0एल0  कुटुम्ब।	
	viii) विधवा / तलाक शुदा / अकिंचन / एकल महिला।	
	= 01 अंक	
	ix) इकलौती पुत्री / अनाथ = 01 अंक	
	x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से	
	आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास	

की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक	
xi) सरकारी / अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद	
से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव	
(प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक	

# परिशिष्ट-II

व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती	पुत्र / पुत्री श्री
	संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्
प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश	के राज्यपाल के मध्य निदेशक , अनुसूचित जाति, अन्य
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्ष	म का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके
पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम र	ने आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है :--

1. यह कि प्रथम पक्षकार व्यावसायिक अनुदेशक (टंकण एवं कम्पयूटर) के रूप में ....... से प्रारम्भ होने और ...... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ...... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910 / —रूपए प्रतिमास होगी और 267 / —रूपए की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है।
- उ. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का

प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थित की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

सा	क्षेयां की उपस्थिति में:
1.	
	(नाम व पूरा पता)
	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
2.	
	(नाम व पूरा पता)
	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B(1)-3/2016, dated: July, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh

Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-B-B(1)-3/2016 dated: Shimla-02 the

August, 2017

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Vocational Instructor (Typing & Computer) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement: (1)

These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Vocational Instructor (Typing & Computer) Class-III (Non-Gazetted),

Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

#### By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst No. as above, dated: Shimla-02

August, 2017

Copy to:-

- The A.C.S./Pr. Secretaries/Secretaries (Finance/Law/Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
- The Director, SCs, OBCs and Minorities Affairs, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09. He is requested to procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
- The Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-05 for publication into the Govt. Gazette.
- 4 Guard File.

Deputy Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

# H.P. P.S.C. Form 21-A [Referred to in paras 3.4 (i), 3.4 (v) and 3.5]

To be filled by the department while forwarding proposals to the Himachal Pradesh Public Service Commission for framing Recruitment and Promotion Rules for posts/services

ì	(a)	Name of the post	Vocational Instructor (Typing & Computer).
	(b)	Name of Department	Social Justice & Empowerment.
	(c)	Number of post(s)	One (01).
	(d)	Scale of pay	Rs.5910-20,200+3000 Grade Pay.
	(e)	Class and service to which the posts belong.	Class-III, Non Gazetted
	(f)	Ministerial or non-ministerial { (of F R 9 (17).	Non-Ministerial
	(g)	Whether scientific, technical or connected with research (of para 7 of Brochure on Reservation for	
		Scheduled Castes/Scheduled Tribes)	
_	?		
2.	(h)	Whether technical quasi- technical or non-technical (of para 23 of the Brochure on Reservation for Scheduled	, ,
3.	Tala d	Castes/Scheduled Tribes)?	Impaired
	•	escription i.e. factual statement of the	<del>-</del>
4.	the job	and responsibilities responsibilities of o.	100% by Direct recruitment on regular basis or on contract basisas above
	(a)	Describe briefly the method(s) adopted for filling in the post.	
	(b)	Method(s) recruitment proposed to be prescribed in the rules.	
	If pro	motion is proposed as a method of	
	recru	itment:	
	(a)	Designation, pay-scale and number of	
	includ	the posts proposed to be ed in the field of	
	promo		
	(b)	Number of years of qualifying	
	servi		
		e persons in the field become eligible	

	for pr	r promotion.					As proposed at item-3		
	(c)	Percentage of vacancies in the grade							
		proposed to be filled by Promotion.				n.			
	(d)								
	(e)	Have	recruitme	ent rules k	een fram	ed for			
			the post	s propose	d ir	n the			
	field o	f		prom	otion	? If			
	frame	d in co	nsultation		W	vith			
	the Co	mmiss	sion, pleas	se quote					
	Comi	missio	n's refere	nce. If con	sultation		No		
		with	the Comr	nission wa	s not req	[uired,			
			please a	attach a co	py of the	rules			
	frame	_							
	(f)			rules were					
		frame		Posts in th	e field of				
5.			promoti			43	<del></del>		
6.	(1	1)	Please	indicate	briefly	the			
υ.	metho	-	4 11	J 4 - J	of		NTΛ		
			actually a	-			NA		
		•	_	lease also	00				
	State	_	•	of vacanci of the metl			100%		
		2)	lease		briefly	the			
	educa	•	lease	State	qualifica		Between 18 to 45 years		
			ssessed		quamic	ation	-No-		
	•		ons in the	field of					
	٠, ١	_	otion.	110101 01					
	(g)	-		channels,	are ava	ailable			
	(3)			of incum					
		ment	ioned in 4	(a) above	e, if any.	-			
	(h)	Ment	ion other	posts be	earing th	e pay			
		scale	given in	4(a) above	<b>)</b> .				
	(i)	Why	incumber	nts of these	posts a	re not			
		being	-	red for pro			(i) Bachelor Degree from		
	(j)	(i)	_	omotion to			any recognized		
		,		n or non-s			University.		
		(ii)		for the	proposal	in (i)	(ii) Must passes diploma		
	4.	~	above.	• -			(ii) Must possess diploma in Computer application		
	(k)	Com	_	of Departn	nent pror	motion	from recognized Institute.		
	TC		Commit			- 411	(iii) Should possess		
	_			proposed		etnoa,	diploma in Special		
	pleas			asons there			Education (VI or HI).		
7.	metho			nent is p	_				
	(a)			itment, ple vacancie			(iv) Should possess a		
8.	be	1 6106	•			direct	minimum speed of 30		
٠.	recrui	tment	11.	iicu	<b>.</b> ~ y	aneci	words per minute in		
	100141						English type-writing or 25 words per minute in		
							To Morora her Hillinge III		

	(b)	(i)	Age for direct recruitment Hindi type-writing on
		<b>/</b> **\	Computer.
9.		(ii)	Is age relaxable for Government Knowledge of customs, Servants? Knowledge of customs manners and dialects of
٥.	(c)	Minin	num educational and other Himachal Pradesh and
	(0)		fications including experience suitability for
			red for direct recruits (it may appointments in the
	please	_	be noted that age and peculiar conditions
	experi		prescribed prevailing in the
	are rel		
	Comr	nissior	a's discretion in case of
		candi	dates otherwise well qualified):- No
10.		(i)	Essential Qualification:-
11.			
12.			
14.			
		(ii)	Desirable Qualification:-
	<i>(</i> 1)	TT (1	
	(d)		ne post been advertised by the nission in the absence of rules ? If
			please quote Commission's
	refere	so,	and date.
			ruitment is not proposed as one of
			ds please state the reasons
	there		•
	(i)	If pro	motion and direct recruitment are
		both	Proposed as methods of
			itment will the Educational
		_	ications proposed for direct
	c	recru	its apply to the persons eligible
	for	If mot	promotion.  /what extent are the educational
	(ii)		
		quaiii	ications proposed to be relaxed in case of such persons. Signature and designation
	(a)	Is de	putation/transfer proposed as one of the Officer sending the
	(4)	-5 40	of the Methods of requirement 2
	If so,		reasons therefore.
	(b)	The r	percentage of vacancies proposed
	to	•	be filled by this method.
	(c)	Durat	ion of period of deputation
		propo	osed.

- (d) The names of the posts or grades or services etc. from which deputation/ transfer is proposed to be made.
- (e) Pay-scale of these posts.

In the event of failure of above method(s), the method proposed to be adopted.

If these proposals are being sent in response to any reference from the Commission, please quote Commission's letter number and date special Circumstances, if any, other than covered by the rules in which the Commission is required to be consulted.

Name, address and telephone number of the Government officer who may be contacted for discussion, clarification or for further information.

Date: June, 2017

Place Shimla

#### <u>ANNEXURE –A</u>

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF VOCATIONAL INSTRUCTOR (TYPING & COMPUTER) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post Vocational Instructor (Typing & Computer).

2. Number of post 01 (One).

3. Classification Class III (Non-Gazetted).

4. Scale of Pay (i) Pay scale of regular incumbent:

Pay Band Rs. 5910-20,200 + Rs. 3000/-Grade Pay.

- (ii) Emoluments for contract employee:
  Rs. 8910/- as per details given in Col.
  No. 15-A.
- 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.

Not applicable.

6. Age of direct recruitment

Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Cast/ Scheduled Tribe / Other Backward Classes and Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who are /were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges or as the case may be.

(--contd.2--)

--2--

- 7. Minimum educational and other qualification required for direct recruits.
- (a) Essential Qualification:-
- i) Bachelor's Degree with Diploma of at

least one year duration in Computer Application/Computer Programming from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.

OR

Bachelor's Degree in Computer Application / Information Technology Computer Science from a recognized University or from an Institution duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

03 years Diploma Course in Computer Science Engineering / Information Technology from a Polytechnic Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

"A" LEVEL Course from DOEACC (National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT)).

- ii) Diploma in Special Education (VI) from a recognized University or from an Institute duly recognized by the State / Central Government.
- iii) Minimum speed of 30 words per minute in English type writing or 25 words per minute in Hindi type writing on Computer.
- (b) Desirable Qualification:-

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).
- Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
- 9. Period of Probation, if any
- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

- (b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:

100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

 In case recruitment by promotion, secondment/ transfer, grade for which promotion/secondment/ transfer is to be made. Not applicable

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition.

Not applicable

13. Circumstances under which The H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur or other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard / svllabus. etc. of which, determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency / authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- (a) Under this policy the Vocational Instructor (Typing & Computer) in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

# (b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF</u> HPPSC/HPSSC:-

The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

#### (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Vocational Instructor (Typing & Computer) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount or Rs. 267/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

#### (III) <u>APPOINTING</u>/ <u>DISCIPLINARY</u> AUTHORITY:

The Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

#### (IV) <u>SELECTION PROCESS</u>:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined b the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

#### (V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF</u> <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS:</u>

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

#### (VI) <u>AGREEMENT</u>:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

#### (VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount
- Rs. 8910/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of Rs.
   267/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied
- will be given.
  (b) The service of the contract appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

benefits such as senior/selection scales etc.

(c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave

and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding days'(irrespective of the number surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

(d) Unauthorized absence from the duty the approval of controlling Officer without automatically shall lead termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her for but case regularization the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

> Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily

unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

- 16. Reservation
- 17. Departmental Examination
- 18. Powers to Relax

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Not applicable.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

#### \*\*\*\*\*

	APPENDIX-I	
1	WRITTEN TEST	85 marks

	calcu	entage of marks obtained in written examination to be lated out of 85 marks. For example, a candidate getting marks in written examination will be given 42.5 marks}.	
2.	Evalu	15	
		<u> </u>	marks
	i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules.  = 2.5 Marks.	
	would secur	centage of marks obtained in the educational qualification does be multiplied by 0.025. For example, an individual has seed 50 % marks in the required educational qualification, ne will be allowed 1.25 marks (50x0.025= 1.25)}	
	ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	
		= 01 Mark.	
	iii)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.  = 01 Mark.	
	iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	
		= 01 Mark.	
	v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.  = 01 Mark.	
	vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions.  = 01 Mark.	
	vii)	BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.  = 02 Marks.	
	viii)	Widow/divorced/destitute/single women. = 01 Mark.	
	ix)	Single daughter/Orphan = 01 Mark.	
	x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution.  = 01 Mark.	
	xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relation to the post applied for (0.5 marks only for each completed year).  = 2.5 Marks.	
		2.0 Marks.	

Appendix-II

Form of Contract/agreement to be executed between the Vocational Instructor (Typing & Computer) Class-III (Non-Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through Social Justice & Empowerment Department.

This agreement is n	nade on this	dav of	in the v	'ear
between. Sh./Smt.		•	•	
	Contract appo	intee (here in after	called the (FIRST P.	ARTY), AND
The Governor of H	Iimachal Pradesh	through Director,	Empowerment of	SCs, OBCs,
Minorities and the St	pecially Abled, H.P.	. (here -in -after the	SECOND PARTY).	

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Vocational Instructor (Typing & Computer) on contract basis on the following terms and conditions.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract was to be renewed/extended.

- 2 The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910/- per month with annual increase of Rs. 267/- if contract is extended beyond one year.
- 3 The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.
- 4 The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5 Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall lead to the termination of the contract. However, in exceptional automatically cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond medical grounds, such period shall not be excluded while his/her control on considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6 Vocational Instructor (Typing & Computer) appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

Cont..2..

--2--

- 7 Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- 8 Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
- 9 The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

1	
(SIGNATURE OF FIRST PARTY) address) 2	(Name and full
(Name and full address) IN THE PRESENCE OF WITNESS	
(Name and full address) (Signature of SECOND PARTY) 2	
	(Name and full address)